	मुख्यालय	HEADQUARTERS
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
	पंचदीप भवन	PANCHDEEP BHAWAN
	सी.आइ.जी.मार्ग, नई दिल्ली	C.I.G.ROAD, NEW DELHI–110002.

सं.: डी–31/12/7/2017–पीआर दिनांक: 19.02.2018

प्रेस प्रकाशनी

(1) ईएसआइसी विजन 2022

(2) क.रा.बी. निगम द्वारा बरेली (उत्तर प्रदेश), भुवनेश्वर (ओड़ीसा), रायगढ़, (छत्तीसगढ़) तथा फुलवारीशरीफ़ (पटना) में क.रा.बी. अस्पताल की स्थापना/को नियंत्रण में लेना।

(3) आशोधित नियोजक उपयोग औषधालय (आशोधित इयूडी) की स्थापना करना।

क.रा.बी.निगम ने श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 16.02.2018 को आयोजित अपनी 173वीं बैठक में सेवा वितरण तंत्र मे सुधार करने के संबंध में कुछेक बहुत महत्वपुर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे-श्रीमती एम. सत्यवती, आइएएस, सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार, श्री राजकुमार, भा॰ प्र॰ से॰, महानिदेशक, क.रा.बी.निगम, श्री हीरालाल सामरियाए भा॰ प्र॰ से, श्री अरुण गोयल, भा॰ प्र॰ से॰ तथा श्रीमती संध्या शुक्ला, आइएएण्डएएस, वित्त आयुक्त, क.रा.बी.निगम, कर्मचारियों और नियोजको के प्रतिनिधि तथा क.रा.बी.निगम के माननीय सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा क.रा.बी.निगम के अधिकारीगण।

बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-

1. बैठक के दौरान, ईएसआइसी विजन 2022 को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया। ईएसआइसी विजन 2022 में वर्ष 2022 तक 10 करोड़ कामगारों की व्याप्ति के लक्ष्य के साथ देश के प्रत्येक जिले में क.रा.बी. योजना का विस्तार शामिल है। बैठक में लक्ष्य प्राप्ति के साधनों तथा कार्यप्रणाली पर विचार किया गया। इस संदर्भ में अन्य हितधारकों के सक्रिय भागीदारी एवं बेहतर सामंजन हेतु एक उप.समिति बनाने का निर्णय भी लिया गया।

2. उत्तर प्रदेश में चिकित्सा देख-रेख सेवाओं को मजबूत करने के लिए, क.रा.बी.निगम द्वारा क.रा.बी. योजना अस्पताल, बरेली को नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर में क.रा.बी.नि. अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थापना और रायगढ़, छतीसगढ़ में सौ विस्तर के क.रा.बी.

अस्पताल की मंजूरी संबंधी रिपोर्ट भी बैठक में दी गई। बैठक में क.रा.बी.निगम ने फुलवारीशरीफ, पटना में 50 बिस्तर के क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, जिसका 100 बिस्तरों के अस्पताल में उन्नयन किया जा सकता है, को जारी रखने का निर्णय लिया। अपनी पिछली बैठक में क.रा.बी.निगम ने पहले ही बिहटा, पटना, बिहार में 100 बिस्तर के चिकित्सा सुविधाएं/अस्पताल को आरंभ करने का अनुमोदन किया था।

3. क.रा.बी.निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं में हितधारकों के भागीदारी को सुदृढ करने हेतु बैठक में पायलट आधार पर आशोधित नियोजक उपयोग औषधालय (आशोधित इयूडी) की स्थापना के लिए भी निर्णय लिया गया।

4. चिकित्सा सेवाओं में सुधार तथा क.रा.बी.नि. अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का यथोचित प्रयोग करने के लिए, क.रा.बी.नि अस्पतालों में सतर्कता निरीक्षण एकक की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। आगे, बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों का नियोक्ता द्वारा पंजीकरण के समय आधार नंबर केप्चर करने के लिए एक तंत्र की स्थापना हेतु क.रा.बी.नि. विनियमों में नया उप-विनियम जोड़ा गया।

5. बैठक में, वर्ष 2017-18 के लिए परिशोधित प्राक्कलन, वर्ष 2018-19 के लिए बजट प्राक्कलन तथा वर्ष 2018-19 के लिए निष्पादन बजट पर विचार विमर्श किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. उपर्युक्त के अलावा, बैठक के दौरान बीमाकृत व्यक्तियों के लिए सेवाओं/हितलाभों में सुधार तथा अन्य प्रशासनिक मामलों मे सुधार से संबंधित लगभग 25 अन्य कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

भारत में क.रा.बी. योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ जैसे कि उचित चिकित्सा देख-रेख तथा रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु इत्यादि जैसे आवश्यकता के समय नकद हितलाभों की श्रृंखला प्रदान करता है। क.रा.बी. अधिनियम उन परिसरों/परिसीमाओं पर लागू है जहां 10 तथा इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। रुपए 21,000/- तक मासिक वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति तथा अन्य हितलाभों के हकदार हैं। ये अधिनियम अब देशभर में 8.98 लाख कारखानों तथा स्थापनाओं में लागू है और कामगारों की लगभग 3.19 करोड़ परिवार इकाइयों को हितलाभ प्रदान कर रहा है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, क.रा.बी. योजना की कुल लाभार्थी संख्या 12.40 करोड़ से अधिक है। 1952 में इसके आंरभ से, क.रा.बी.नि. ने अब तक 151 अस्पतालों, 1489/174 औषधालयों/भारतीय चिकित्सा पद्धति इकाइयों, 815 शाखा/भुगतान कार्यालयों तथा 63 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।